न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 5387

दिनांक – 20.06.25

प्रार्थी

तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1.गणपतसिंह पुत्र भगवानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मूले का तला (सरली) तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 17/2018 दिनांक– 17.05.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा मूले का तला पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 391 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 635/392 रकबा 63.12 बीघा कुल रकबा 63.19 बीघा भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण एक विशेष राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम गठित कर उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 5388-91 दिनांक– 20.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर